प्रेस नोट
दिनांक 21.07.2026

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दावच्यॉ के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 218/2026 धारा 109(1), 118(1), 115(2), 351(3), 352, बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- 01. प्रयागदत्त उर्फ प्रागदत्त पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम भौंरुपुर बकठोरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली वादिनी द्वारा थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 20.06.2026 को रात्रि लगभग 09 बजे उनके पति शौच के लिए जा रहे थे कि विपक्षीगण प्रयागदत्त, सूरज, गोल्डी व प्रयागदत्त की पत्नी आदि एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे। तथा सूरज द्वारा धारदार भाले से सीने पर हमला कर दिए, जिससे उनके पति सुरेन्द्र को गंभीर चोटें आई। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमे आज दिनांक 21.07.2026 को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त - 01. प्रयागदत्त उर्फ प्रागदत्त पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम भौंरुपुर बकठोरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. प्रयागदत्त उर्फ प्रागदत्त पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम भौंरुपुर बकठोरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 218/2026 धारा 109(1), 118(1), 115(2), 351(3), 352, बी0एन0एस0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विकास कुमार
02. रि0का0 निकुन्ज त्रिवेदी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 21.07.2026

थाना कौडिया पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-150/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- निगम मौर्य पुत्र स्व0 शान्ती प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम उमरा थाना कौडिया, जनपद गोण्डा को उमरा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी दिलीप मौर्या पुत्र उमेश मौर्या निवासी ग्राम शम्भू तारा थाना पयागपुर जनपद बहराइच द्वारा थाना कौडिया में लिखित तहरीर दी गयी थी कि उनकी बहन का विवाह दिनांक 14.06.2022 को निगम मौर्या पुत्र शान्ति प्रसाद के साथ किया था। विवाह के पश्चात् ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उनकी बहन को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 20.07.2026 को उक्त सभी आरोपियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उनके बहन के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आज दिनांक 21.07.2026 को थाना कौडिया पुलिस द्वारा एक आरोपी अभियुक्त निगम मौर्य पुत्र स्व0 शान्ती प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम उमरा थाना कौडिया, जनपद गोण्डा को उमरा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. निगम मौर्य पुत्र स्व0 शान्ती प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम उमरा थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-150/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्रीकृष्ण
02. का0 विपिन यादव
03. का0 नीलेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 21.07.2026

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-203/26 धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- उपेन्द्र कुमार पासी पुत्र रामकृपाल निवासी डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से बेलई जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मिसरीलाल पासी पुत्र सन्तोषी निवासी खैरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी थी कि उनकी पुत्री का विवाह दिनांक 21.02.21 को उपेन्द्र पासी पुत्र रामकृपाल के साथ किया था। विवाह के पश्चात् ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन व मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उनकी पुत्री को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 20.07.2026 को दहेज की मांग को लेकर उनके बहन के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आज दिनांक 21.07.2026 को थाना उमरीबेगमंगज पुलिस द्वारा एक आरोपी अभियुक्त उपेन्द्र कुमार पासी पुत्र रामकृपाल निवासी डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से बेलई जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उपेन्द्र कुमार पासी पुत्र रामकृपाल निवासी डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-203/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश यादव
02. हे0का0 विनय कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।